कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा । पत्रांक 3190/14–1(31584/2018) ,आगरा, दिनांक, 20 ,मार्च, 2020

सेवा में,

	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
s.	उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
0	

- विषय :- जनपद आगरा में ग्रीन गैस लि0, आगरा द्वारा आगरा–कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग–02 के किमी0 206. 757 से 213.960 के मध्य (महावीर ढाबा से भगवान फिलिंग स्टेशन) मार्ग की बांधी पटरी के किनारे गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.584 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
- संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू०पी0/09/40/2019/एफ0सी0/263 दिनांक 21.08.2019 एवं आपका पत्रांक 406/11सी-31584/2018 दिनांक 27.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव की भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा शर्तों के साथ सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित अभिलेखों सहित प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के पत्रांक 4280 / 14–1 दिनांक 06.03.2020 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। प्राप्त अनुपालन आख्या के आधार पर बिन्दुवार आख्या संस्तुति सहित सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु निम्नवत् प्रेक्षित है :–

क0सं0	भारत सरकार/शासन की शर्त	अनुपालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	इस आशय का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर अर्थात 1.168 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त के अनुपालन में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर अर्थात 1.168 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 1794925.00 ई पोर्टल के माध्यम से जमा करा दी गयी है। पेमेन्ट हिस्ट्री की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
3 क	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या5–3 /2007 एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त के अनुपालन में वन विभाग के पक्ष में शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की धनराशि रू० 365584.00 ई पोर्टल के माध्यम से जमा करा दी गयी है। पेमेन्ट हिस्ट्री की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
ख	इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ईरसीद की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	शर्त का अनुपालन किया गया है।
ग	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्वता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढोत्तरी होती हे तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	इस आशय का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता / प्रमाण पत्र संलग्न है।

4	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशांतर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे एवं	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा रू० 414000.00 का डी0डी0 संख्या–021388 दिनांक 28.11.2019 द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के कार्यालय में जमा करा दिये गये हैं।
5	पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी। अपयोजित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा और नहीं किसी एजेंसी को हस्तान्तरित किया जाएगा।	इस आशय का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	प्रस्ताव के लिए स्वीकृत ले आउट प्लान में कोई परिवर्तन बिना अनुमति मान्य नहीं होगा।	इस आशय का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता / प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	पाइप लाईन बिछाने के बाद गढढा भरान प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।	इस आशय का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता / प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	प्रयोक्ता द्वारा प्रेषित मक डिस्पोजल योजना को प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा स्वीकृत कर संलग्न है।
9	परियोजना के कार्यान्वयन में न्यूनतम एवं अपरिहार्य वृक्षों का ही पातन किया जाएगा।	इस आशय का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।
10	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो नियमानुसार प्राप्त किया जायेगा।	इस आशय का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	इस आशय का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।
12	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण	इस आशय का प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा का प्रमाण पत्र संलग्न है।
	अधिनियम—1980 के उल्लंघन के विषय में सचना / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे ।	
13	निंकटतम क्षेत्रों में वन एवं वन्य प्राणी को कोई नकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	इस आशय का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता/प्रमाण पत्र संलग्न है।

प्रस्ताव की आख्या से सम्बन्धित अभिलेख 03-03 प्रतियों में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु

#### प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के० प्रवीण राव) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / प्रभारी वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

<u>पत्रांक</u> / <u>समदिनांकित</u>। 1– प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 2– प्रतिलिपि उप महाप्रबन्धक, ग्रीन गैस लिमिटेड, संजय प्लेस, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> (के० प्रवीण राव) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / प्रभारी वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा। पत्रांक /14–1 दिनांक : आगरा : दि<del>सम्बर 2019 -</del> सेवा में

> वन संरक्षक आगरा वृत्त, आगरा।

जनपद आगरा में ग्रीन गैस लि0 आगरा द्वारा आगरा–कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–02 के किमी0 206.757 से 213.960 के मध्य (महावीर ढावा से भगवान फिलिंग स्टेशन) मार्ग की बांधी पटरी के किनारे गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.584 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध मे।

संदर्भ

विषय

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू०पी0/09/40/2019/एफ0सी0/263 दिनांक 21.08.2019 एवं आपका पत्रांक–2353/ 14–1 दिनांक 14.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में कुछ शर्तों के साथ सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसकी अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक–2992 / 14–1 दिनांक 03.01.2020 द्वारा प्रेषित की गयी थी जिसमें आपके संदर्भित पत्र द्वारा कुछ आपत्तियों लगायी गयी थी जिनके अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा निम्न प्रकार अनुपालन कर लिया गया है।

अतः संशोधित अनुपालन आख्या आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क0सं0	भारत सरकार⁄शासन की शर्त	अनुपालना
1	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	and the second second	a second s
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर अर्थात 1.168 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जा की जाएगी।	पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर अर्थात 1.168 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 1794925.00 ई पोर्टल के माध्यम से जमा करा दी गयी है। पेमेन्ट हिस्ट्री की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
3 क	प्रयोवता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या—566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या5—3 / 2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त के अनुपालन में वन विभाग के पक्ष में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की धनराशि रू0 365584.00 ई पोर्टल के माध्यम से जमा करा दी गयी है। पेमेन्ट हिरट्री की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
	आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	
ख	इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति राहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपरक	शर्त का अनुपालन किया गया है।
	वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	
ग	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्वता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढोत्तरी होती हे तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

Com-3/revenue/Letter/FCA Objection Letter

145

4	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोवता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशांतर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे एवं पीछे जनकी दिशा भी लिखनी होगी।	डां0डां० संख्यां–021388 दिनाक 28.11.2019 द्वारा इस कार्यालय में जमा करा दिया गया है।
5	अपयोजित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा और नहीं किसी एजेंसी को हस्तान्तरित किया जाएगा।	
6	प्रस्ताव के लिए स्वीकृत ले आउट प्लान में कोई परिवर्तन बिना अनुमति मान्य नहीं होगा।	
7	पाइप लाईन बिछाने के बाद गढढा भरान प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का दिया गया प्रमाण पत्र मूल प्रस्ताव में संलग्न है।
9	परियोजना के कार्यान्वयन में न्यूनतम एवं अपरिहार्य वृक्षों का ही पातन किया जाएगा।	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
10	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो नियमानुसार प्राप्त किया जायेगा।	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
12	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम–1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना⁄प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
13	निकटतम क्षेत्रों में वन एवं वन्य प्राणी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

भवदीय

(मनीष मित्तल) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक ५२८० / 141 दिनांकित प्रतिलिपि उप महाप्रबन्धक ग्रीन गैस लि0 संजय प्लेस, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> (मनीष मिल्तल) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आम्र्यूरा

# Scanned with Cam



## (गेल (इंडिया) लिमिटेड एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. का संयुक्त उद्यम) GREEN GAS LIMITED

(A joint venture of GAIL (India) Ltd. & Indian Oil Corporation Ltd.) द्वितीय तल, जीवन प्रकाश विल्डिंग, संजय पैलेस, आगरा-282002 फोन - 0562-2850319, 2850318, 4061634 2nd Floor, Jeevan Prakash Building, Sanjay Palace, Agra - 282002 Phone: 0562-2850319, 2850318, 4061634 CIN No. U23201UP2005PLC030834

दिनांक: 20.12.2019

सन्दर्भ : जीजीएल/परियोजना/आगरा/सा०वा०प्र०/2019-20/ 1933

सेवा में,

49111/2 1-1G215 सामाजिक वानिकी प्रभाग ,

आगरा।

#### विषयः जनपद आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड आगरा द्वारा आगरा - कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स0-02 के कि॰मि० 206.757 से 213.960 के मध्य (महावीर ढाबा से भगवान फिलिंग स्टेशन ) तक मार्ग की बायी पटरी के किनारे गैस पाइप लाइन विछाने हेतु 0.584 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पतन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति ।

सन्दर्भ : भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षे0का0 उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-8बी / यू0पी0 / 09 /

40 / 2019 / एफ0सी0 / 263 दि0 21/08/2019 एवं पत्रांक -1160/ 14-1 दि0 04/09/2019

महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र जो अधोहस्ताक्षरी के साथ आपको भी पृष्ठांकित है। का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण के कुछ शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गयी है । अतः शर्तों का अनुपालन करते हुए अनुपालन आख्या निम्नलिखित प्रेषित है ।

प्रयोक्ता जमिकरण द्वारा पानकी करते हुए         1.       के दोगुने अवनत भूमि अर्थात (0.584 X 2 = 1.168 है0) 1.168         के दोगुने अवनत भूमि अर्थात (0.584 X 2 = 1.168 है0) 1.168         है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख -रखाव हेतु         अतन्श्यक धनराशि ( वर्तमान दूरी को समाहित करते हुए         यथासंशोधित ) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी ।         प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय, उच्तम न्यायालय के रिट         प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय, उच्यतम न्यायालय के रिट         प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय, उच्यतम न्यायालय के रिट         पर्व भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 - एफ॰सी॰ दिनांक 0.5/02/2009 के तहत में दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्त्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क         २००       ३,65,584 ऑनलाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम कर दिया है			
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय, उच्तम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई॰ए॰ संख्या 586 2.A एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 - एफ॰सी॰ दिनांक 05/02/2009 के तहत में दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्त्तमान नई दिल्ली में दिनांक 29.10.2019 को जमा कर दिया है	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित वन भूमि के दोगुने अवनत भूमि अर्थात (0.584 X 2 = 1.168 है0) 1.168 1. है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख -रखाव हेतु आतृश्यक धनराशि ( वर्तमान दूरी को समाहित करते हुए	1.	शर्त संख्या -1 के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दोगुने अवनत वन भूमि अर्थात 1.168 है0 पर वृक्षारोपण एव 10 वर्षो तक रख -रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू० 17,94,92 ऑनलाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली दिनांक 29,10,2019 को जमा कर दिया है । जिसका चालान की प्रा
की जाएगी।	पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए० सख्या 586 2.A एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 - एफ०सी० दिनांक 05/02/2009 के तहत में दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्त्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा	2.A	शर्त संख्या -2A के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्त न्यालय के आदेशानुसार शुद्ध वर्त्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनरा रू० 3,65,584 ऑनलाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम नई दिल्ली में दिनांक 29.10.2019 को जमा कर दिया है। जिस चालान की प्रति एवं पेमेंट हिस्ट्री संलगन है (संलग्नक -1 एवं 2)

Phone: 0522-4088530, 4088526. Fax: 0522-4088529, website : gglocine The GAS LIMITED

F.C. MÚKHERJEE Regd. Office : 2<sup>nd</sup> Floor, Fortuna Tower, 10 Rana Pratap Marg, Lucknov (CNP(P22680M)/OIC AGRA

(A JV OF GAIL (INDIA) LTD. & IOCL)

21/12

1	2,1	अर्ताथ क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण , दिया गया हो ) प्रेषित की जाये , तदोपरांत ही विधवत स्वीकृति पर विचार किया	शर्त संख्या -28 के अनुपालन में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई- रशीद की छायाप्रति सहित सैद्धतिक स्वीकृति की अनुपालन आंखा संलग्न है (संलग्नक -1)
	2.0	बही हई काणि प्रयोतना दास जमा की जाएगी।	शर्त संख्या -2C के अनुपालन में प्रयोगता अभिकरण द्वारा सम्बंधित बचनबद्धता प्रमाण पत्र ( समक्ष स्तर द्वारा ) सेलगन हे ( संलगनक-3 )
	3.	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र की सामा स्तम्मा द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण की व्यय पर किया जाएगा अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पेर दर्शाया जाएगां और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे ( फॉरवर्ड ) एवं पीछे ( बैकवर्ड ) उनकी दिशा (बेअरिंग) भी लिखनी होगी।	शर्त संख्या -3 के अनुपालन में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन के व्यय की धनराशि रु. 414400.00 को डीoडीo सं. 021388 दिनांक 28.11.2019 एवं डीoडीo सं. 056723 दिनांक 05.12.2019 के माध्यम से " प्रमाणित निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के नाम देय कर दिया गया है। जमा किये हुए डीoडीo की प्रति संलगन है (संलग्नक -4)
	4.	उपयोजित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा और ना ही किसी एजेंसी को हस्तान्तरित किया जाएगा । स्वीकृत ले आउट प्लान(LAY-OUT-PLANE) में कोई परिवर्तन बिना	शर्त संख्या -4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बंधित बचनबद्धता प्रमाण पत्र ( समक्ष स्तर द्वारा ) संलग्न है (संलग्नक -5 ) शर्त संख्या -5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बंधित बचनबद्धता प्रमाण पत्र ( समक्ष स्तर द्वारा ) संलग्न है (संलग्नक -6 )
TIOTOT	6.	अनुमति मान्य नहीं होगा। पाइप लाइन के बिछाने के बाद गड्डा भरना प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त संख्या -6 के अनुपालन में प्रयोवता अभिकरण द्वारा सम्बंधित बचनबद्धता प्रमाण पत्र ( समक्ष स्तर द्वारा ) संलगन है (संलग्नक -7 )
ſ	7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिशपोज़ल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिशपोज़ल योजना पूर्व में ही प्रस्ताव में सलग्न कर दी गयी है ।
	8.	परियोजना के कार्यान्वयन में न्यूनतम एवं अपरिहार्य वृक्षों को ही पातन किया जाएगा।	परियोजना के तहत प्रभावित वनभूमि में किसी भी प्रकार के वृक्ष बाधक नहीं है।
T	9.	परियोजना एजेंसी द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो नियमानुसार प्राप्त किया जाएगा।	शर्त संख्या -6 के अनुपालन में प्रशंगत परियोजना सेंचुरी / नेशनल पार्क के 10 कि॰मी॰ की परिधि में नहीं है। अतः पर्यावरण विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं की जानी हैं।
1	0.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त संख्या -10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बंधित बचनबद्धता प्रमाण पत्र ( समक्ष स्तर द्वारा ) संलग्न है (संलग्नक -8)
1	1.	सैध्दांतिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन सरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघन के विषय में सूचना/ प्रभाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	शर्त संख्या -11 के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि वन सरक्षण अधिनियम 1980 का उंल्लघन नहीं किया गया है संलगन हैं। (संलग्नक -9)
12		निकटतम क्षेत्रों में वन एवं वन्य प्राणी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए जाएगा।	शर्त संख्या -12 के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि निकटतम क्षेत्रों में वन एवं वन्य प्राणी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए जाएगा संलग्न हैं  <b>(संलग्नक -10 )</b>

्अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अनुपालन आंख्या , वचनबध्दता प्रमाण पत्र कि मूल हस्ताक्षरित 05-05 प्रतियों सहित रसीद ( ऑनलाइन चालान की प्रति एवं पेमेंट हिस्ट्री ) को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु यथा शीघ्र प्रेषित करने तथा अघोहस्ताक्षरी को उक्त मार्ग के किनारे गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु मार्ग पर पड़ रही वन भूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु वन सरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत सहमति देने कि कृपा करे ।

frontight

भवदीय

F.C. MUKHERJEE DGM (P, O & M)/OIC AGRA GREEN GAS LIMITED (A JV OF GAIL (INDIA) LTD. & IOCL)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 मुख्य वन सरंक्षक / नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

2 वन सरक्षक, आगरा वृत्त आगरा।

	Demand Letter	Demand Letter Generate d Challan	Encl:01
	Payment Detail	:23 Sep 2019 Corporation Bank NEFT/RTGS (Challan) :15 Oct 2019 :19 Oct 2019	
4		Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	
- CAMP/	Payment Status	Paid	
made by User Agency under CAMPA	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Ca: 1794925/- Addl Ca : 0/- , 0/- PCA: 232/-, CAT : 0/- Safety Zone:0/-, Addl PA : 0/- NPV: 365584/-, nil : 0/- nil : 0/- nil : 0/- nil : 0/- Total : 2160509/-	Meity & Meity &
	Date of IN- PRINCIPLE	0102 guA 12	ciprine lengine eri
<b>Online payment history</b>	Application No (New)	99978512661	
Onli	Application No	OTHERS315842018666	प्रति हरगाक्षरित अष्ठ (सनीष मिलाल)
	Proposal Detail	FP/UP/Others/31584 /2018 LAYING OF GAS PIPE LINE IN 7300 MTR. LENGTH FROM MAHAVIR DHABA TO BHAGWAN FILLING STATION ON LHS OF AGRA-KANPUR ROAD (NH- 2) FROM KM. 206.757 TO 213.960 BY GREEN GAS LIMITED, AGRA.(U.P.)	(मनीष मित्तल) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभग आगरा ८१९/२०२०
	Sno.		S:

1

#### NEFT RTGS CHALLAN

Page 1 of 2

Agency Name.	GREEN GAS LIMITED AGRA
Application No.	19931584665
MaEF/SG File No.	8B/UP/09/40/2019/FC
Location,	UTTAR PRADESH
Address.	2ND FLOOR JEEVAN PRAKASH BUILDING SANJAY PLACE AGRAGES
Amount(in Rs)	2160509/-

### NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORF0000371
Pay to Account No.	1509019931584956 Valid only for this challen amount.
Bank Name 5. Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,000 Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only This challan is valid only for seven days.

This challan la valid only for seven days.

	BANK COPY
NEFT / RTGS CH	HALLAN for Ad-HOC CAMPA
Date : 15-10-2019	
Agency Name.	GREEN GAS LIMITED AGRA
Application No.	19931584666
MoEF/SG File No.	8B/UP/09/40/2019/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	2ND FLOOR JEEVAN PRAKASH BUILDING SANJAY PLACE AGR Agra
Amount(in Rs)	2160509/-
Amount in Words Tw Hundred and Nine Rup	enly-One Lakh Sixty Thousand Five eres Only

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	1509019931584666 Valid only for this challen amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Dethi -110803


 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
 This challan is valid only for seven days.

## 19/10/2019 UTIBR520191019006

10/15/2019

प्रति हस्ताक्षरित (मनीष मित्तल) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा 6/3/2020

#### (संलग्नक–2A)



-



संलग्नक-3

### वन भूमि की वैधानिक स्थिति सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषयः जनपद आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड, आगरा द्वारा आगरा—कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—2 के कि.मी. 206.757 से 213.960 के मध्य महावीर ढावा से भगवान फिलिग स्टेशन तक मार्ग की बायी पटरी के किनारे गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु 0.584 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (प्रस्ताव सं0—FP/UP/OTHERS/31584/2018)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या–8B/UP/09/40/2019/FC-263 Dated 21.08.2019 के बिन्दु संख्या–1 के अनुसार **"वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।"** के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

> मिमिमिम् हिम्मिम् हिम्बिम् हिम्ब्रिम् हिम्बिम् हिम्बिम् हिम्ब्रिम् हिम्बिम् हिम्ब्रिम् हिम्न् हिम्ब्रिम् हिम्न् हिम्ब्रिम् हिम्ब्रिम् हिम्ब्रिम् हिम्न् हिम्न्



For better environment and clean air to breathe

**ग्रीन गैस लिमिटेड** (गेल (इंडिया) लिमिटेड एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. का संयुक्त उद्यम) **GREEN GAS LIMITED** (A joint venture of GAIL (India) Ltd. & Indian Oil Corporation Ltd.) दितीय तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, संजय पैलेस, आगरा–282002 फोन – 0562-2850319, 2850318, 4061634 2nd Floor, Jeevan Prakash Building, Sanjay Palace, Agra - 282002 Phone : 0562-2850319, 2850318, 4061634 CIN No. U23201UP2005PLC030834

संलग्नक–4

प्रति द्वस्ताक्षरित

(मनीष मित्तल) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रकार आगरा

613/2020

## क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषयः जनपद आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड, आगरा द्वारा आगरा—कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—2 के कि.मी. 206.757 से 213.960 के मध्य महावीर ढावा से भगवान फिलिग स्टेशन तक मार्ग की बायी पटरी के किनारे गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु 0.584 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (प्रस्ताव सं0—FP/UP/OTHERS/31584/2018)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या–8B/UP/09/40/2019/FC-263 Dated 21.08.2019 के बिन्दु संख्या–2 के अनुसार "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि अर्थात (0.584 x 2 = 1.168) 1.168 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।" के अनुपालन में आवश्यक रू01794925-00 की धनराशि को ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में दिनांक 19.10.2019 को जमा कर दिया गया है। जिसकी पेमेन्ट हिस्ट्री एवं चालान की प्रति (संलग्नक–1एवं 2) संलग्न है।



For better environment and clean air to breathe **ग्रिन गैस लिमिटेड** (गेल (इंडिया) लिमिटेड एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. का संयुक्त उद्यम) **GREEN GAS LIMED** (A joint venture of GAIL (India) Ltd. & Indian Oil Corporation Ltd.) दितीय तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, संजय पैलेस, आगरा–282002 फोन – 0562-2850319, 2850318, 4061634 2nd Floor, Jeevan Prakash Building, Sanjay Palace, Agra - 282002 Phone : 0562-2850319, 2850318, 4061634 CIN No. U23201UP2005PLC030834

संलग्नक-5

## एन0पी0वी0 की निर्धारित राशि जमा करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषयः जनपद आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड, आगरा द्वारा आगरा—कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—2 के कि.मी. 206.757 से 213.960 के मध्य महावीर ढावा से भगवान फिलिग स्टेशन तक मार्ग की बायी पटरी के किनारे गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु 0.584 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (प्रस्ताव सं0—FP/UP/OTHERS/31584/2018)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या–8B/UP/09/40/2019/FC-263 Dated 21.08.2019 के बिन्दु संख्या–3 (क) के अनुसार "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ0सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी०) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।" के अनुपालन में आवश्यक रू० 365584-00 की धनराशि को ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में दिनांक 19.10.2019 को जमा कर दिया गया है। जिसकी पेमेन्ट हिस्ट्री एवं चालान की प्रति (संलग्नक–1एवं 2) संलग्न है।

प्रति हस्त्रक्षरित (मनीष मित्तल) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिको जभग आगरा 6 3 2020





**प्रोन गेस लिमिटेड** (गेल (इंडिया) लिमिटेड एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. का संयुक्त उद्यम) **GREEN GAS LIMITED** (A joint venture of GAIL (India) Ltd. & Indian Oil Corporation Ltd.) दितीय तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, संजय पैलेस, आगरा–282002 फोन – 0562-2850319, 2850318, 4061634 2nd Floor, Jeevan Prakash Building, Sanjay Palace, Agra - 282002 Phone : 0562-2850319, 2850318, 4061634 CIN No. U23201UP2005PLC030834

For better environment and clean air to breathe

संलग्नक—6

### क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषयः जनपद आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड, आगरा द्वारा आगरा—कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—2 के कि.मी. 206.757 से 213.960 के मध्य महावीर ढावा से भगवान फिलिग स्टेशन तक मार्ग की बायी पटरी के किनारे गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु 0.584 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (प्रस्ताव सं0—FP/UP/OTHERS/31584/2018)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या–8B/UP/09/40/2019/FC-263 Dated 21.08.2019 के बिन्दु संख्या–3 (ख) के अनुसार "इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।" के अनुपालन में आवश्यक धनराशि को ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में दिनांक 19.10.2019 को जमा कर दिया गया है। जिसकी ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति एवं चालान की प्रति (संलग्नक–1 एवं 2) संलग्न है।

प्रति हस्ताक्ष्रित (मनीष मित्तील) प्रभागीय निर्देशक सामाजिक वानिको 632020





For better environment and clean air to breathe

**ग्रिन गैस लिमिटेड** (गेल (इंडिया) लिमिटेड एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. का संयुक्त उद्यम) **GREEN GAS LIMITED** (A joint venture of GAIL (India) Ltd. & Indian Oil Corporation Ltd.) द्वितीय तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, संजय पैलेस, आगरा–282002 फोन – 0562-2850319, 2850318, 4061634 2nd Floor, Jeevan Prakash Building, Sanjay Palace, Agra - 282002 Phone : 0562-2850319, 2850318, 4061634 CIN No. U23201UP2005PLC030834

संलग्नक–7

## एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषयः जनपद आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड, आगरा द्वारा आगरा—कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—2 के कि.मी. 206.757 से 213.960 के मध्य महावीर ढावा से भगवान फिलिग स्टेशन तक मार्ग की बायी पटरी के किनारे गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु 0.584 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (प्रस्ताव सं0—FP/UP/OTHERS/31584/2018)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या–8B/UP/09/40/2019/FC-263 Dated 21.08.2019 के बिन्दु संख्या–3 (ग) के अनुसार "प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रति हस्ताक्षरित (मनीष मित्तल) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिको प्रभाग आगरा 6 3 2020





(गेल (इण्डिया) लिमिटेड एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि० का संयुक्त उद्यम) **GREEN GAS LIMITED** (A joint venture of GAIL (India) Ltd. & Indian oil corporation Ltd.) सी एन जी–1, सेक्टर– बी 1, ताज नगरी फेस–II– आगरा–282001 फोन – : 0562-6888806, फैक्स : 0562-2524784 CNG -1, Sector- B1, Taj Nagari Phase - II, Agra - 282001 Phone No. : 0562-6888806, Fax : 0562-2524784 CIN No. U23201UP2005PLC030834

स लि


For better evironment and clean air to breathe

संलग्नक–8

#### सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषयः जनपद आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड, आगरा द्वारा आगरा–कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–2 के कि.मी. 206.757 से 213.960 के मध्य महावीर ढावा से भगवान फिलिग स्टेशन तक मार्ग की बायी पटरी के किनारे गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु 0.584 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (प्रस्ताव सं0–FP/UP/OTHERS/31584/2018)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या–8B/UP/09/40/2019/FC-263 Dated 21.08.2019 के बिन्दु संख्या–4 के अनुसार "विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।" के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा द्वारा मांग की गयी आवश्यक धनराशि को डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांक 28.11.2019 एवं दिनांक 05.12.2019 द्वारा प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा को दिनांक 05.12.2019 को जमा कर दिया गया है। जिसकी छायाप्रति (संलग्नक–2A) संलग्न है।





Regd. Office : Fortuna Tower, 2nd Floor 10 Rana Pratap Marg, Lucknow (U.P.) 226 001 Phone : 0522-4088530, 4088526, Fax : 0522-4088529, website : gglonline.net



For better environment and clean air to breathe

 ग्रेन गेस लिमिटेड

 (गेल (इंडिया) लिमिटेड एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. का संयुक्त उद्यम)

 **GREEN GAS LIMITED** 

 (A joint venture of GAIL (India) Ltd. & Indian Oil Corporation Ltd.)

 द्वितीय तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, संजय पैलेस, आगरा–282002

 फोन – 0562-2850319, 2850318, 4061634

 2nd Floor, Jeevan Prakash Building, Sanjay Palace, Agra - 282002

 Phone : 0562-2850319, 2850318, 4061634


 CIN No. U23201UP2005PLC030834

संलग्नक–9

## <u>"अपयोजित वनभूमि का उपयोग सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र</u>

विषयः जनपद आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड, आगरा द्वारा आगरा—कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—2 के कि.मी. 206.757 से 213.960 के मध्य महावीर ढावा से भगवान फिलिग स्टेशन तक मार्ग की बायी पटरी के किनारे गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु 0.584 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (प्रस्ताव सं0—FP/UP/OTHERS/31584/2018)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या–8B/UP/09/40/2019/FC-263 Dated 21.08.2019 के बिन्दु संख्या–5 के अनुसार "अपयोजित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा और नहीं किसी एजेंसी को हस्तान्तरित किया जाएगा।" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।







CIN No. U23201UP2005PLC030834

For better environment and clean air to breathe

संलग्नक-10

### <u>आउट प्लान (Layout Plan) में विना अनुमति परिवर्तन सम्बन्धी</u> वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषयः जनपद आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड, आगरा द्वारा आगरा—कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—2 के कि.मी. 206.757 से 213.960 के मध्य महावीर ढावा से भगवान फिलिग स्टेशन तक मार्ग की बायी पटरी के किनारे गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु 0.584 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (प्रस्ताव सं0—FP/UP/OTHERS/31584/2018)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या–8B/UP/09/40/2019/FC-263 Dated 21.08.2019 के बिन्दु संख्या–6 के अनुसार "प्रस्ताव के लिए स्वीकृत ले आउट प्लान (Layout Plan) में कोई परिवर्तन विना अन्मति मान्य नहीं होगा" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।





**ग्रिन गेस लिमिटेड** (गेल (इंडिया) लिमिटेड एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. का संयुक्त उद्यम) **GREEN GAS LIMITED** (A joint venture of GAIL (India) Ltd. & Indian Oil Corporation Ltd.) द्वितीय तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, संजय पैलेस, आगरा–282002 फोन – 0562-2850319, 2850318, 4061634 2nd Floor, Jeevan Prakash Building, Sanjay Palace, Agra - 282002 Phone : 0562-2850319, 2850318, 4061634 CIN No. U23201UP2005PLC030834


For better environment and clean air to breathe

संलग्नक–11

### <u>"पाईप लाईन बिछाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र</u>

विषयः जनपद आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड, आगरा द्वारा आगरा—कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—2 के कि.मी. 206.757 से 213.960 के मध्य महावीर ढावा से भगवान फिलिग स्टेशन तक मार्ग की बायी पटरी के किनारे गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु 0.584 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (प्रस्ताव सं0—FP/UP/OTHERS/31584/2018)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या–8B/UP/09/40/2019/FC-263 Dated 21.08.2019 के बिन्दु संख्या–7 के अनुसार "पाईपलाईन बिछाने के बाद गढ्ढा भरान प्रयोक्ता एजेसी द्वांरा सुनिश्चित किया जाएगा" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।





For better evironment and clean air to breathe

(गेल (इण्डिया) लिमिटेड एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि० का संयुक्त उद्यम)

 GREEN GAS LIMITED

 (A joint venture of GAIL (India) Ltd. & Indian oil corporation Ltd.)

 सी एन जी–1, सेक्टर– बी 1, ताज नगरी फेस–II– आगरा–282001

 फोन – : 0562-6888806, फैक्स : 0562-2524784

 CNG -1, Sector- B1, Taj Nagari Phase - II, Agra - 282001

 Phone No. : 0562-6888806, Fax : 0562-2524784

 CIN No. U23201UP2005PLC030834

संलग्नक-12

### <u>"मक डिस्पोजल योजना सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र</u>

विषयः जनपद आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड, आगरा द्वारा आगरा–कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–2 के कि.मी. 206.757 से 213.960 के मध्य महावीर ढावा से भगवान फिलिग स्टेशन तक मार्ग की बायी पटरी के किनारे गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु 0.584 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (प्रस्ताव सं0–FP/UP/OTHERS/31584/2018)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या–8B/UP/09/40/2019/FC-263 Dated 21.08.2019 के बिन्दु संख्या–8 के अनुसार "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।" के अनुपालन में मक डिस्पोजल योजना संलग्न है।

प्रति हस्ताक्षरित (मनीष मित्तील) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिको मधाग आगरा

F.C. 10 S. 10 C. INTO & DOCH

Regd. Office : Fortuna Tower, 2nd Floor 10 Rana Pratap Marg, Lucknow (U.P.) 226 001 Phone : 0522-4088530, 4088526, Fax : 0522-4088529, website : gglonline.net

सलग्न 12(क)



**ग्रीन गेस लिगिटेड** (गेल (इण्डिका) लिगिटेड एवं इडियन ऑयल कार्पोरेशन लिठ का संयुक्त उद्यम) **GREEN GAS LIMITED** (A joint venture of GAIL (India) Ltd. & Indian oil corporation Ltd.) दितीय उल, "जीवन प्रकास बिलिंडग, संजय पेलेस, आगरा- 282002 फोन - 0562-2850319, 2850318, 4061634 2nd Floor, "Jeevan Prakash Building", Sanjay Place, Agra-282002 Phome No.: 0562-2850319, 2850318, 4061634 CIN No. U23201UP2005PLC030834

and clean as to breather

#### Muck Management Plan

Subject : Proposal for seeking permission to use the 0.584 Ha. Protected Forest Land for laying of gas pipe line in 7300 mtr. length from Mahavir Dhaba to Bhagwan Filling Station on LHS of Agra-Kanpur Road (NH-2) from Km. 206.757 to 213.960 by Green Gas Limited, Agra, (U.P.)

(While preparing FCA case, if there is any activity in the project which involves digging of land, muck disposal/ management plan has to be prepared)

1.	Calculation of muck to be generated, swell factor has to be applied.	The scope of work in laying of gas pipe line does not attract Muck generation since there is no tunnel work of significant cutting of rock/hill etc. There is not any dismantling of existing road of bituminous/non bituminous pavement material. No Calculation and swell factor is applicable and undertaking is enclosed in this regard.
2.	Quantity of muck to be utilized in the project activities.	Not any
3.	Balance quantity of muck. Which requires disposal/ management plan?	No balance quantity will be left for disposal and accordingly no disposal plan is required.
4.	Carriage of muck from the muck generation site in the dumping site.	Not Applicable
5.	Ownership of land and the consent of land owner, in case muck disposal on non forest land.	Not Applicable
6.	Photograph & carrying capacity of proposed dumping site (muck disposal site)	Not Applicable
7.	Development of dumping site- construction of retaining walls and other structure as per requirement of the site. The objective is to completely stop rolling down of the muck.	Not Applicable
8.	Rehabilitation of dumping site like levelling, planting of grass, shrubs and tree species	Not Applicable
Mat	erial Generation and utilization details due to	dismantling of road pavement/culvert/bridge
Mat	erial generated due to dismantling of road ement/culvert/bridge	Not Any
٩dd	swell factor @ 40%	Not Applicable
	ममागौय निदेशक बामाखिक बानिको प्रभाष Regd. Office : Fortuna Tower Phone : 0522-4088 खार्यप्र 6 3 2020	bor 10 Rana Pratap Marg, Lucknow W.R. 200 Key 601 2018 5. Fax : 0522-4088529, website : ggigning res

Use	e of Material	
SL	Item for which material is to be used	Quantity of material consumed (in Cum)
1	Haul Road	NIL
2	Approach road	NIL
3	Development of Construction Camp	NIL
4	Reutilization of Scarified Bituminous Pavement Material in DBM/BC	NIL
5	Construction of Plum Masonry	NIL
6	Solling	NIL
7	Construction of Parapets	NIL
8	Construction of Road side drain	NIL
9	Construction of Scuppers	NIL
10	Concrete Work	NIL
11	Other filling work	NIL
Total ( Cu.M)		NIL
Balance Material to be disposed		NIL

As per the above details of utilization of dismantled material NO despoil and development of dumping ground is required.

**Note** - Cost to be incurred on the above activities has to be given component wise. Details of dumping site including length, width and height of structures to be exacted must be mentioned.

Undertaking by the user agency has to be given to the effect that:

(1) Muck management plan will be implemented by the user agency and in case of non implementation of the plan; they will be liable to penalty/ action at their cost


(2) The proposed dumping site is located away from river/ stream/ nala.

#### Certificate for No Muck will be Generated and Disposed at Site

This is to certify that for the laying of gas pipe line in 7300 mtr. length from Mahavir Dhaba to Bhagwan Filling Station on LHS of Agra-Kanpur Road (NH-2) from Km. 206.757 to 213.960 by Green Gas Limited, Agra, (U.P.), No Muck will be generated in development of above laying of gas pipe line project.

Date: 16.01.2018 Place: Agra

F.C. MUKHERJEE DGM (P, O & MVOIC AGRA GREEN GAS LIMITED (A JV OF GAIL (INDIA) LTD. & IOCL) धभागोये निदेशक वामाखिक वानिको भुभाष खायर 6/3/2020





For better environment and clean air to breathe प्रेन गेस लिमिटेड (गेल (इंडिया) लिमिटेड एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. का संयुक्त उद्यम) GREEN GAS LIMITED (A joint venture of GAIL (India) Ltd. & Indian Oil Corporation Ltd.) द्वितीय तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, संजय पैलेस, आगरा–282002 फोन – 0562-2850319, 2850318, 4061634 2nd Floor, Jeevan Prakash Building, Sanjay Palace, Agra - 282002 Phone : 0562-2850319, 2850318, 4061634 CIN No. U23201UP2005PLC030834

संलग्नक–13

## <u>न्यूनतम एवं अपरिहार्य वृक्षों का ही पातन सम्बन्धी वचनबद्धता</u> प्रमाण पत्र

विषयः जनपद आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड, आगरा द्वारा आगरा—कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—2 के कि.मी. 206.757 से 213.960 के मध्य महावीर ढावा से भगवान फिलिग स्टेशन तक मार्ग की बायी पटरी के किनारे गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु 0.584 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (प्रस्ताव सं0—FP/UP/OTHERS/31584/2018)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या–8B/UP/09/40/2019/FC-263 Dated 21.08.2019 के बिन्दु संख्या–9 के अनुसार "परियोजना के कार्यान्वयन में न्यूनतम एवं अपरिहार्य वृक्षों का ही पातन किया जाएगा।" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रति हस्ताक्षरित (मनीष मित्तील) प्रभागीय-निदेशक सामाजिक वानिको प्रभाग आगरा 63220



संलग्नक-14

### पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषयः जनपद आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड, आगरा द्वारा आगरा—कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—2 के कि.मी. 206.757 से 213.960 के मध्य महावीर ढावा से भगवान फिलिग स्टेशन तक मार्ग की बायी पटरी के किनारे गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु 0.584 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (प्रस्ताव सं0—FP/UP/OTHERS/31584/2018)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या–8B/UP/09/40/2019/FC-263 Dated 21.08.2019 के बिन्दु संख्या–10 के अनुसार "प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति यंदि

लागू हो नियमानुसार प्राप्त किया जाएगा।" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रति हस्ताक्षरित (मनीष मित्तेल) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग



For better environment and clean air to breathe प्रीन गेस लिस्टिड (गेल (इंडिया) लिमिटेड एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. का संयुक्त उद्यम) **GREEN GAS LIMIED** (A joint venture of GAIL (India) Ltd. & Indian Oil Corporation Ltd.) दितीय तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, संजय पैलेस, आगरा–282002 फोन – 0562-2850319, 2850318, 4061634 2nd Floor, Jeevan Prakash Building, Sanjay Palace, Agra - 282002 Phone : 0562-2850319, 2850318, 4061634 CIN No. U23201UP2005PLC030834

संलग्नक–15

### <u>नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन सम्बन्धी वचनबद्धता</u> प्रमाण पत्र

विषयः जनपद आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड, आगरा द्वारा आगरा—कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—2 के कि.मी. 206.757 से 213.960 के मध्य महावीर ढावा से भगवान फिलिग स्टेशन तक मार्ग की बायी पटरी के किनारे गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु 0.584 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (प्रस्ताव सं0—FP/UP/OTHERS/31584/2018)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या–8B/UP/09/40/2019/FC-263 Dated 21.08.2019 के बिन्दु संख्या–11 के अनुसार "प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।" के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।" की वचनबद्धता दी जाती है।

प्रति हस्ताक्षरित (मनीष मित्तल) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिक



संलग्नक-16

### वन एवं वन्य प्राणी को नुकसान नहीं सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषयः जनपद आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड, आगरा द्वारा आगरा—कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—2 के कि.मी. 206.757 से 213.960 के मध्य महावीर ढावा से भगवान फिलिग स्टेशन तक मार्ग की बायी पटरी के किनारे गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु 0.584 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (प्रस्ताव सं0—FP/UP/OTHERS/31584/2018)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या–8B/UP/09/40/2019/FC-263 Dated 21.08.2019 के बिन्दु संख्या–13 के अनुसार "निकटतम क्षेत्रों में वन एवं वन्य प्राणी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रति हस्ताक्षरित (मनीष मित्तल) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिव

#### वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद आगरा में ग्रीन गैस लि0 आगरा द्वारा आगरा-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-02 के कि0मी0 206.757 से 213.960 के मध्य (महावीर दावा से भगवान फिलिंग स्टेशन) तक मार्ग की बायी पटरी के किनारे गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.584 है0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षे0का0 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू0पी0/09/40/2019/एफ0सी0/263 दिनाक 21.08.2019 एवं पत्रांक-1160/ 14-1 दिनांक 04.09.2019 द्वारा दी गयी स्वीकृति में वर्णित शर्त बिन्दु संख्या-12 "सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन प्रेषित करते हुए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा" की वचनबद्धता दी जाती है।

प्रति हस्ताक्षरि (मनीष मित्तल) प्रभागीय निदेश सामाजिक वानिको आगरा

Ro Atorcid Ju

Com-3/Draftman/Letter-16/339